

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01/बजट-यो-41/2025- 04/06/25

पटना, दिनांक- 21 मई, 2025

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, माओप्रोसेस
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

विशेष ईख पदाधिकारी,
पटना।

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन एवं चीनी मिलों के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की योजना के लिए मो० 40,20,000.00 (चालीस लाख बीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

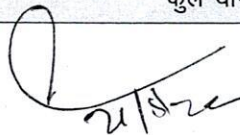
महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-51 स्वी०/सी.सी. दिनांक-28.04.2025 द्वारा राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन एवं चीनी मिलों के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 160.00 लाख (एक करोड़ साठ लाख) रुपये की योजना का कार्यान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत कुल राशि मो० 160.00 लाख रुपये के अन्तर्गत विषय शीर्ष-20 02 कॉन्फ्रेंस कार्यशाला एवं सेमिनार मद में कुल स्वीकृत राशि मो० 60.00 लाख रु० के विरुद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-235/वि० दिनांक-01.04.2025 के आलोक में 33% राशि अर्थात् कुल मो० 19,80,000.00 (उन्नीस लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र का आवंटन पूर्व में किया गया था तथा वर्तमान में वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-323/वि० दिनांक-20.05.2025 के आलोक में उक्त विषय शीर्ष में शेष 67% राशि अर्थात् मो० 40,20,000.00 (चालीस लाख बीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन किया जाता है। इस प्रकार कुल आवंटित राशि मो० 60.00 लाख रु० विशेष ईख पदाधिकारी, पटना-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के अनुसार आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से कर सकेंगे।

2. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की निकासी हेतु बजट शीर्षवार विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

(राशि रुपये में)

बजट शीर्ष	पूर्व में आवंटित राशि (33 प्रतिशत)	वर्तमान आवंटित राशि (67 प्रतिशत)	कुल आवंटित राशि
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-201-चीनी मांग संख्या-45 उपशीर्ष-0103 आर्थिक सहायता विपत्र कोड-45- 2852082010103, विषय शीर्ष-20 02 कॉन्फ्रेंस कार्यशाला एवं सेमिनार।	1637460.00	3324540.00	4962000.00
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-789-चीनी मांग संख्या-45 उपशीर्ष-0101 आर्थिक सहायता विपत्र कोड-45- 2852087890101 विषय शीर्ष-20 02 कॉन्फ्रेंस कार्यशाला एवं सेमिनार।	316800.00	643200.00	960000.00
मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-796-चीनी मांग संख्या-45 उपशीर्ष-0102 आर्थिक सहायता विपत्र कोड-45-2852087960102 विषय शीर्ष-20 02 कॉन्फ्रेंस कार्यशाला एवं सेमिनार।	25740.00	52260.00	78000.00
कुल योग -	1980000.00	4020000.00	6000000.00



क्रमशः.....2

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-323/वि० दिनांक-20.05.2025 के आलोक में आवंटित की जा रही है। कोषागार से राशि की निकासी तत्काल उतना ही किया जाय जितना वर्तमान में भुगतान हेतु आवश्यक हो तथा किसी भी स्थिति में राशि की निकासी कर बैंक खाते में Park नहीं किया जाय।
4. स्वीकृत्यादेश संख्या-51 स्वी०/सी.सी. दिनांक-28.04.2025 में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जबाबदेही विशेष ईख पदाधिकारी, पटना-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। ईखायुक्त, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्रित पदाधिकारी होंगे।
5. उक्त योजना अन्तर्गत व्यय की गयी राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन विशेष ईख पदाधिकारी, पटना-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-41/2025- ०५ एलएल

पटना, दिनांक-

21 मई, 2025

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-41/2025- ०५ एलएल

पटना, दिनांक-

21 मई, 2025

प्रतिलिपि-महालेखाकर, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार/सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-41/2025- ०५ एलएल

पटना, दिनांक-

21 मई, 2025

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।